

सेवा में,


श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी,  
तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद  
उत्तर प्रदेश।

विषय :- ऐतिहासिक महामाया मंदिर सीकरी वाली माता के मंदिर परिसर के आसपास हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की श्रद्धा व पवित्रता को ध्यान में रखते हुए हिंदू व सिक्ख धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म के लोगों की प्रसाद, फल, फूल खिलौने व अन्य सामानों को बेचने वालों की दुकानों को तत्काल प्रभाव से मेले परिसर से हटाए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र :-

महोदया जी,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक महामाया माता सीकरी वाली मंदिर जो कि गांव सीकरी खुर्द में स्थित है, पर प्रत्येक वर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली व अन्य कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रसाद चढ़ाने व मनोकामना मांगने आते हैं। यह मंदिर हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धा का केंद्र है।

महोदया जी आज पूरे देश के अंदर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जगह-जगह फल सब्जियां व खाने पीने की चीजों में थूक व मूत्र मिलाये जाने की घटनाएं लगातार सोशल मीडिया के द्वारा सामने आती रहती हैं।



जिन पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन इसके बाद भी यह घटनाएं लगातार जारी हैं।

इसके अतिरिक्त समुदाय विशेष के लोगों द्वारा देश के अंदर जगह-जगह हिंदू समाज के देवी देवताओं का अनादर किया जा रहा है। कहीं मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं तो कहीं मंदिरों में मांस फेंका जा रहा है तो कहीं हिंदू समाज की आस्था की रीढ़ गौ-माता की हत्या समुदाय विशेष के लोगों द्वारा लगातार की जा रही है।

अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में जिस प्रकार से समुदाय विशेष के लोगों द्वारा निहत्ते हिंदू समाज की महिलाएं, औरतों, बच्चों व बूढ़ों पर हमले किए गए तथा यहां तक कि हमारे पुलिस अधिकारियों पर कुल्हाड़ी से वार किए गए व अन्य और भी प्रतिदिन समुदाय विशेष के लोगों द्वारा देश विरोधी घटनाएं घटित की जाती रही हैं। इससे हिंदू समाज के लोगों का धैर्य व संयम समाप्त होता जा रहा है।

अतः आपसे मोदीनगर का समस्त हिंदू समाज/हिंदू संगठन यह

निवेदन करते हैं कि :-

1. मन्दिर व श्रद्धालुओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए दो दिनों के अंदर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जो भी प्रसाद फल, खिलौने, झूले, फल, खाने पीने की दुकानें आदि सामानों की दुकानें मंदिर के मेला परिसर में लगाई गई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद कराकर हटाया जाए अन्यथा यह कार्य हिंदू संगठनों द्वारा स्वयं अपने धर्म की रक्षा व पवित्रता बनाए रखने हेतु किया जाएगा।

2. प्रसाद, खिलौने व अन्य सामानों को बेचने के लिए दुकान व टिए जिन-जिन हिन्दुओं को आवंटित किए गए हैं, उनमें भी कोई भी समुदाय विशेष का व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो उसे मेले परिसर से तुरंत हटाया जाए।
3. प्रत्येक ठीए व दुकान पर ठीए या दुकान के मालिक का नाम व कारीगरों के नाम व मोबाइल नंबर सहित अंकित किया जाए।
4. संपूर्ण मेला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए ताकि चेन स्नेचिंग व पर्स छिनैती जैसी घटनाएं ना हो।

दिनांक - 3-4-2025

Arms  
Vivek  
मालिक

निवेदक

समस्त हिन्दू समाज / हिंदू संगठन

नोट :-

ठीया नम्बर 9बी0, 13बी0, 55बी0<sup>47</sup> व सीकरी मंदिर के निकट सरकारी स्कूल के सामने जैसे कुछ ठीए समुदाय विशेष के लोगों के हैं तथा कुछ ठीए गेट नंबर 3 के भी बाहर हैं। जिनको पूर्व मे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा प्रशासनिक सुस्ती के कारण वह ठीए व दुकानें खोले गये हैं।